शैलेन्द्र
मुख्य अभियन्ता
(अनुसंधान एवं नियोजन) बाढ़

अ0शा0पत्रांकः 100/काप्रअ/अनिबामं/यू-7/2018
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश,
दिनांक : लखनऊ, 19|3|2018

विषय :-उत्तर प्रदेश में बाढ़ क्षेत्रों के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिले में स्टीयरिंग ग्रुप का गठन।

प्रिय महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः 1371 एफ/87/23/सिं-6/40 /बाढ़ 87, दिनांक 21.4.1987 एवं पत्र सं0-712/17-सिं-2-48बाढ़/15, दिनांक 19.04.17 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा उत्तर प्रदेश में बाढ़ क्षेत्रों के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक स्टीयरिंग ग्रुप का गठन किया गया है। उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि वर्ष 2018 की बाढ़ से निपटने हेतु अपने जनपद में गठित स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर बैठक की कार्यवृत्ति अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) मण्डल, लखनऊ को माह अप्रैल, 2018 तक प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

सद्‌भावनाओं सहित,

भवदीय,
(शैलेन्द्र)

श्री ....
अधिशासी अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता,
समन्वय अधिकारी / नोडल अधिकारी,
सिंचाई विभाग, उ0प्र0,
....।

अ0शा0पत्रांकः 100 (1)/अनिबामं/यू-7/2018/तदिनांक : 19|03|18

प्रिय महोदय,

उपरोक्त की प्रतिलिपि शासन के पत्र संख्याः 1371 एफ/87/23/सिं-6-40/बाढ़-87,दिनांक 21.4.1987 एवं पत्र सं0-712/17-सिं-2-48बाढ़/15, दिनांक 19.04.17 के संदर्भ में।

सादर,

भवदीय,
(शैलेन्द्र)

श्री टी0वेंकटेश,
प्रमुख सचिव (सिंचाई एवं जल संसाधन),
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

संख्याः 100 (2)/अनिबामं/यू-7/2018/तदिनांक 19|03|18

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य अभियन्ता ( ) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, ...।

(शैलेन्द्र)
मुख्य अभियन्ता
(अनुसंधान एवं नियोजन) बाढ़

क्रमशः 2पर,

rakesh vishwakarma/taiyaree 2018

संख्याः 100 **(3)/अनिबामं/यू-7/2018/तदिनांकः** 19/03/18

उपरोक्त की प्रतिलिपि संलग्नकों सहित समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

1- जिलाधिकारी, ...।

2- मण्डलायुक्त, ...।

(शैलेन्द्र) 19/3/18
मुख्य अभियन्ता
(अनुसंधान एवं नियोजन) बाढ़

संख्याः 100 **(4)/अनिबामं/यू-7/2018/तदिनांकः** 19/03/18

उपरोक्त की प्रतिलिपि संलग्नकों सहित आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2- राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

3- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

4- प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

5- प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

6- प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

7- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

8- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

9- सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(शैलेन्द्र) 19/3/18
मुख्य अभियन्ता
(अनुसंधान एवं नियोजन) बाढ़

संख्या- 1371/एफ/87/23 सिं-6/40 बाढ़/87.

प्रेषक,

श्री ए0के0दास
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी ,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक : लखनऊ 21 अप्रैल, 1987.

विषय : उत्तर प्रदेश में बाढ़ क्षेत्रों के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिले में स्टीयरिंग ग्रुप का गठन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या- 443 एफ/85/23सिं-6/40 बाढ़/85, दिनांक 13 मई, 1985 के तारतम्य में यह अवगत कराना है कि वर्ष 1987 की बाढ़ से निपटने के लिए शासन ने गत वर्षों की भाँति प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक " स्टीयरिंग ग्रुप " के गठन का निर्णय लिया है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता एवं समन्वय अधिकारी (बाढ़) इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

2. इस समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :-

1.	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य
3.	जिला बाढ़ राहत अधिकारी	–	सदस्य
4.	जिला कृषि अधिकारी	–	सदस्य
5.	जिलापूर्ति अधिकारी	–	सदस्य
6.	अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग	–	सदस्य
7.	वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता राज्य विद्युत परिषद	–	सदस्य
8.	अधिशासी अभियन्ता एवं समन्वय अधिकारी (बाढ़)	–	सदस्य सचिव
9.	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम	–	सदस्य

3. इस स्टीयरिंग ग्रुप के निम्न कार्य होंगे :-

1. जनपद में बाढ़ के समय बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करके आवश्यक प्रबन्ध एवं कार्यवाही करना।
2. बाढ़ निरोधक कार्यों पर बाढ़ के समय आवश्यक सामग्री कार्यस्थल पर पहुँचाने हेतु साधन उपलब्ध कराना।
3. बाढ़ निरोधक कार्यों के क्षतिग्रस्त स्थल पर मरम्मत के लिए मजदूर एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था करना।
4. बाढ़ निरोधक कार्यों की सुरक्षार्थ आवश्यकता पड़ने पर पी०ए०सी०, पुलिस या होमगार्ड्स द्वारा पेट्रोलिंग का प्रबन्ध करना।
5. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ निरोधक कार्यों के क्षतिग्रस्त स्थलों पर जहां रात्रि में भी कार्य करने की आवश्यकता हो वहां बिजली का उचित प्रबन्ध करना।
6. जलमग्न क्षेत्र में वर्षा के पानी को निकालने के लिए पम्पों बिजली और डीजल इत्यादि की समुचित व्यवस्था करना।
7. राहत कार्यों से सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से समन्वय का कार्य।
8. बाढ़ से सम्बन्धित अन्य कार्य।

4. इस समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह अपनी सुविधा हेतु किसी अन्य व्यक्ति को सदस्य नामांकित कर ले।

5. अतएव मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इस समिति की बैठक अविलम्ब बुलाकर प्रारम्भिक सुरक्षात्मक कार्यवाही करने हेतु उचित व्यवस्था कर कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाये।

6. यह शासनादेश अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

भवदीय

ह० /-

(ए०के० दास)

सचिव

संख्या : 1371/एफ0/87/232 सि-6/तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3. सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4. सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
5. सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
6. सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
7. सचिव, कृषि विभाग , उत्तर प्रदेश शासन ।
8. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
9. प्रमुख अभियन्ता , सिंचाई विभाग, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को समुचित निर्देश इस सम्बन्ध में जारी कर दें ।

ह0 /-
([illegible] दास)
सचिव

संख्या : 1371/एफ0/87/232 सि-6/तद्दिनांक ।

उपरोक्त की प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से

([illegible] दास)
सचिव

संख्या–712 / 17–सिं–2–48बाढ / 15

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–2 लखनऊ:: दिनांक:: 19 अप्रैल, 2017

विषय– उत्तर प्रदेश में बाढ़ क्षेत्रों के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिले में स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–682/17-27-सिं-2-48बाढ/15, दिनांक 19.04.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 2017 की सम्भावित बाढ़ के सम्बन्ध में समुचित तैयारियों हेतु दिशा निर्देश दिये गये है। इसी कम में शासन के पत्र संख्या–1371 / एफ / 87 / 23–सिं–6 / 40बाढ़ / 87, दिनांक 21.04.1987 द्वारा प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बाढ़ से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए "स्टीयरिंग ग्रुप" का गठन किया गया है जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित रहते है :–

(1)	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
(2)	पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य
(3)	जिला बाढ़ राहत अधिकारी	–	सदस्य
(4)	जिला कृषि अधिकारी	–	सदस्य
(5)	जिलापूर्ति अधिकारी	–	सदस्य
(6)	अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग	–	सदस्य
(7)	वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता राज्य विद्युत परिषद	–	सदस्य
(8)	अधिशासी अभियन्ता एवं समन्वय अधिकारी (बाढ)	–	सदस्य सचिव
(9)	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम	–	सदस्य

2– उक्त समिति की बैठक शीघ्र आयोजित कर वर्ष 2017 की सम्भावित बाढ़ से निपटने के लिए विचार विमर्श कर रणनीति बनाया जाना आवश्यक है।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने–अपने जिले में दिनांक 25.04.2017 तक "स्टीयरिंग ग्रुप" की बैठक अवश्य सम्पन्न कराकर रणनीति बना लें, जिससे कि विभागों में समन्वय स्थापित करने एवं तैयारियों हेतु उनको आवश्यक दिशा निर्देश समय से दिये जा सके।

भवदीय

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3– प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / अधीक्षक

आज्ञा से

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव